# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

**पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर R.A.S.**

प्रकरण संख्या : 13/2013 राजस्व अपील

**उनवान**

1. सावित्री देवी पत्नि स्व0 शंभुलाल सुनार (सोनी) उम्र वयस्क निवासी माण्डल हाल मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला–भीलवाडा
2. विजय पिता स्व0 शंभुलाल सुनार (सोनी) उम्र वयस्क निवासी माण्डल हाल मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला–भीलवाडा

**–– अपीलार्थीगण**

**बनाम**

1 राजेश कुमार पिता कन्हैयालाल सुनार (सोनी) उम्र वयस्क निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला–भीलवाडा

2 मंजु पुत्री कन्हैयालाल सुनार (सोनी) उम्र वयस्क निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला–भीलवाडा

3 ममता पुत्री कन्हैयालाल सुनार (सोनी) उम्र वयस्क निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला–भीलवाडा

4 दिलखुश पत्नि कन्हैयालाल सुनार (सोनी) उम्र वयस्क निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला–भीलवाडा

5 जगदीश चन्द्र पिता रतनलाल सुनार (सोनी) उम्र वयस्क निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला–भीलवाडा

6 घनश्याम पिता रतनलाल सुनार (सोनी) उम्र वयस्क निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला–भीलवाडा

7 कंचन पुत्री रतनलाल सुनार (सोनी) उम्र वयस्क निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला–भीलवाडा

8 पुष्पा पुत्री रतनलाल सुनार (सोनी) उम्र वयस्क निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला–भीलवाडा

9 सुमित्रा देवी पत्नि रतनलाल सुनार (सोनी) उम्र वयस्क निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला–भीलवाडा

10 दिनेश कुमार पिता बसन्तीलाल सुनार (सोनी) उम्र वयस्क निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला–भीलवाडा

11 मुकेश कुमार पिता बसन्तीलाल सुनार (सोनी) उम्र वयस्क निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला–भीलवाडा

12 प्रेमलता पत्नि बसन्तीलाल सुनार (सोनी) उम्र वयस्क निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला–भीलवाडा

13 रमेश चन्द्र पिता सुगनचन्द्र सुनार (सोनी) उम्र वयस्क निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला–भीलवाडा

14 बाली पत्नि सुगनचन्द्र सुनार (सोनी) उम्र वयस्क निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला–भीलवाडा

15 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा

**––रेस्पोडेण्ट्स**

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामा. संख्या 1354 आदेश दिनांक 05.07.2012 ग्राम पंचायत बरण**

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

उपस्थित –
1. श्री श्यामलाल गुर्जर.............. अपीलार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित
2. पेशकार सरकार.....................उपस्थित

## निर्णय

दिनांक – 29.08.2017

अपील के संक्षेप तथ्य यह है कि ग्राम रायसिंहपुरा पटवार मण्डल बरण स्थित आराजी संख्या 1709 रकबा 02–18 बीघा स्थित है। जो अपीलार्थीगण के स्व0 पति व पिता शंभूलाल व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 14 के शामलाती खाते में राजस्व अधिकार अभिलेख में अभिलिखित है। अपीलार्थीगण के स्व0 पति व पिता शंभूलाल पिता सुगनचन्द्र स्वर्णकार सोनी का स्वर्गवास दिनांक 07.10.2007 को हो जाने से अधीनस्थ तहसीलदार बनेडा ने अपीलार्थीगण के स्व0 पिता/पति श्री शंभुलाल सुनार के वारिसान की जाचं तहसीलदार सा0माण्डल से कराई गई। जिसकी पालना में हल्का पटवारी माण्डल ने दिनांक 15.05.2012 को स्व0 शंभूलाल को लाओलाद कुंवारा फौत होने का उल्लेख किया। इस आधार पर हल्का पटवारी बरण ने विवादित नामान्तकरण संस्थित कर अपीलार्थीगण के स्व0 पिता/पति की विरासत के स्थान पर प्रत्यर्थीगण 01 लगायत 14 का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु तथाकथित नामान्तरणकरण दर्ज कर भू–अभिलेख निरीक्षक से बाद जांच अधीनस्थ ग्राम पंचायत बरण को अंतिम निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया गया। इन तथ्यों की जानकारी किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रूटीपूर्ण दर्ज कर नामान्तकरण फैसल करवा लिया, जो कि विधि विरूद्ध होकर नामान्तकरण अपास्त योग्य है।

उक्त नामान्तकरण की जानकारी अपीलार्थीगण को 29.03.2013 को हुई तथा उनके द्वारा नकल लेकर विहीत समयावधि में अपील पेश की है। विलम्बित अवधि के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रा.पत्र प्रस्तुत कर क्षम्य किये जाने का अनुरोध किया। प्रा.पत्र की ताईद में शपथपत्र भी पेश हुआ। जिसका कोई खण्डन अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थीया/प्रार्थीगण का प्रा.पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाकर विलम्बित अवधि क्षम्य की जाती है।

प्रकरण को दिनांक 30.04.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट्स की तल्बी की गई। दिनांक 24.06.2014 को प्रत्यर्थी संख्या 01, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 14 की और से अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रत्यर्थी क्रम 01, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14 की और से दिनांक 25.06.2013 से एक राजीनामा प्रपत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी का अपीलपत्र स्वीकार किये जाने में अपनी और से सहमती की, जिसे रिकार्ड पर लिया गया। इसी दौरान प्रकरण को राजस्व लोक अदालत केम्प शिविर

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

मुकाम बरण के लिए पंजीबद्ध किया जाकर पक्षकारान उभयपक्ष को वजह जाहिर करने के लिए सूचना पत्र जारी किये गये। प्रकरण का मेरिट्स पर परीक्षण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं मनन किया गया तथा उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने जो सजरा प्रमाणित किया है उसमें अपीलार्थीगण के पिता/पति स्व0 शंभूलाल को लाओलाद कुंवारा फौत होना बताया जाकर । इस आधार पर हल्का पटवारी बरण ने विवादित नामान्तकरण संस्थित कर अपीलार्थीगण के स्व0 पिता/पति की विरासत के स्थान पर प्रत्यर्थीगण 01 लगायत 14 का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु तथाकथित नामान्तकरण दर्ज कर भू-अभिलेख निरीक्षक से बाद जांच अधीनस्थ ग्राम पंचायत बरण को अंतिम निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया गया। इसके विपरीत प्रत्यर्थी क्रम 01, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14 की और से दिनांक 25.06.2013 से जरिये राजीनामा प्रपत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी का अपीलपत्र स्वीकार किये जाने में अपनी और से सहमती दी है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण स्व0 श्री शंभुलाल सुनार की मृत्यूपरान्त प्रथमश्रैणी वारिसान होकर अपीलाधीन नामान्तरण में अपना नाम बतौर वारिस जुड़वाने के अधिकारी है। हम अपीलार्थीपक्ष के इस तर्क से सहमत है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक शंभुलाल पिता सुगनचन्द्र स्वर्णकार (सोनी) के वारिसान की सम्पूर्ण जानकारी लिये बिना ही आदेश पारित कर महत्वपूर्ण विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी की ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

**: : आदेश : :**

अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बरण अपीलाधीन नामा. संख्या 1354 आदेश दिनांक 05-07-2012 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बनेड़ा को ग्राम रायसिंहपुरा पटवार हल्का बरण के खसरा नम्बर 1709 रकबा 02-18 बीघा भूमि में अपीलार्थीगण का नाम भी प्रत्यर्थीगण संख्या 01 लगायत 14 के साथ-साथ संयुक्त खातेदारी हक से राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के निर्देश के साथ रिमाण्ड किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। निर्णय आज दिनांक 29.08.2017 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। उक्त निर्णय की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बनेड़ा (भीलवाड़ा)